न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 12/2024

दायर दिनांक: 01.03.2024

निर्णय दिनांक 11.05.2026

—: अनवान :—

1. चन्द्रशेखर पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी पानेरी आयु वयस्क निवासी कसरा गली बडा बाजार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. श्रीमती शीता पुत्री पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी पानेरी आयु वयस्क निवासी कसरा गली बड़ा बाजार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद हाल उदयपुर

— अपीलार्थीगण

—: बनाम :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. नरेन्द्र पानेरी पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी पानेरी आयु वयस्क निवासी कसरा गली बडा बाजार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

— रेस्पोडेण्टगण

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 309 स्वीकृत दिनांक 21.02.2024 द्वारा तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द</u>

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित:—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री सुनिल बोहरा रेस्पोडेन्ट संख्या 02

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपीलः 05 / 2024
दायर दिनांकः 01.03.2024
निर्णय दिनांक 11.05.2026

—: अनवान :—

1. चन्द्रशेखर पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी पानेरी आयु वयस्क निवासी कसरा गली बडा बाजार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. श्रीमती शीता पुत्री पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी पानेरी आयु वयस्क निवासी कसरा गली बड़ा बाजार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद हाल उदयपुर

— अपीलार्थीगण

—: बनाम :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. नरेन्द्र पानेरी पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी पानेरी आयु वयस्क निवासी कसरा गली बडा बाजार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

— रेस्पोडेण्टगण

<u>अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2024 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा प्रकरण संख्या 14 सन 2024 नरेन्द्र पानेरी बनाम राजस्थान राज्य</u>

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री सुनिल बोहरा रेस्पोडेन्ट संख्या 02

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—:: निर्णय ::—

अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण अपील संख्या 12/2024 के साथ ही एक अन्य राजस्व अपील संख्या 05/2024 को एक साथ एक ही दिनांक 01.03.2024 को पेश की है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 15.02.2024 के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं। दोनो विवाद एक ही प्रकरण से संबंधित होने से दोनो अपीलो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 309 दिनांक 21.02.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोण्डेंट संख्या दो के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा मृतक की आंशिक भुमि का नामान्तरकरण अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलार्थी को सुने बगेर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 15.02.2024 को जारी किया गया है उसकी पालना में तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया है और उसे सुने बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जो अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त भुमि के संबध में अपीलार्थी के हक में मृतक द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित कर रखा था व उक्त पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत न कर मनमकसूद तरीके से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो अवैद्य एवं विधि के विरूद्ध है। मृतक बंशीलाल जी का रेस्पोण्डेंट संख्या दो द्वारा अपने पक्ष में फर्जी एवं कुटरचित वसीयतनामा तैयार किया है। बंशीलाल जी तत्कालीन समय में कैंसर की गम्भीर बिमारी से पीडित थी। उनकी नियमित थैरेपी चल रही थी ऐसी स्थिति में उनके चलने फिरने की सोचने समझने की स्थिति नहीं थी इसी का नाजायज फायदा उठाते हुऐ उक्त फर्जी वसीयत तैयार की है और फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण की कार्यवाही अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सम्पादित करा आदेश पारित कर दिया और उसके आधार पर नामान्तरकरण भी स्वीकृत कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है। बंशीलाल जी का दिनांक 21.02.2022 को फोरटिस्ट हॉस्पीटल में ईलाज चल रहा था तथा उनकी स्थिति गम्भीर होने पर दिनांक 01.11.2023 को गीतांजली हॉस्पीटल में भर्ती कराया तथा उनका नियमित थैरेपी एवं ब्लड परिवर्तन किया जा रहा था और ईलाज के दौरान उन्हें नियमित रूप से उनके इलाज की पीडा सहन करने के उद्देश्य से नियमित रूप से नींद की गोलिया दी जा रही थी जिसका दुरूपयोग करते हुऐ यह फर्जी एवं कूटरचित वसीयत नामा इसी दरम्यान तैयार किया है। तहसीलदार नाथद्वारा को उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर बंशीलाल जी की आंशिक सम्पत्ति के संबंध में नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इस सम्पत्ति के अतिरिक्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वसीयत में अन्य सम्पत्तियाँ भी वर्णित है जिसके संबध में कोई निर्णय नहीं किया है जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त समस्त कार्यवाही में रेस्पोण्डेंट संख्या दो के साथ रेस्पोण्डेंट संख्या एक भी सम्मिलित रहा है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 21.02.2024 को भरा गया जबकि उक्त दिनांक से पूर्व अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.02.2024 को ही तहसीलदार एवं पटवारी हल्का के यहाँ पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था जिसको दरकिनार करते हुऐ अपीलार्थी को सुने बगेर नामान्तरकरण भरकरा एक ही दिन में स्वीकृत कर दिया जो अवैद्य एवं विधि के विपरित है। तहसीलदार को विरासत के नामान्तकरण के संबंध में सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। विरासत के नामान्तकररण की सुनवाई की अधिकारिता ग्राग पंचायत में निहित है और तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर विरासत का नामान्तकरण अवैद्य रूप से अपीलार्थी को सुने बगेर स्वीकृत कर दिया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य हैं। वसीयत अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर कानूनन तहसीलदार को नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है जब तक वह समस्त वारीसान उत्तराधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं करता है। वसीयत को रेस्पोण्डेंट संख्या दो द्वारा सक्षम न्यायालय से प्रमाणित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैद्य होकर क्षेत्राधिकार से परे है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 21.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल बोहरा ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोण्डेंट संख्या दो के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा मृतक की आंशिक भुमि का नामान्तरकरण अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलार्थी को सुने बगेर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 15.02.2024 को जारी किया गया है उसकी पालना में तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो अपास्त योग्य हैं। क्योकि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया है और उसे सुने बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जो अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त भुमि के संबध में अपीलार्थी के हक में मृतक द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित कर रखा था व उक्त पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृ

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

त न कर मनमकसूद तरीके से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो अवैद्य एवं विधि के विरूद्ध है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 21.02.2024 को भरा गया जबकि उक्त दिनांक से पूर्व अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.02.2024 को ही तहसीलदार एवं पटवारी हल्का के यहाँ पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था जिसको दरकिनार करते हुऐ अपीलार्थी को सुने बगेर नामान्तरकरण भरकरा एक ही दिन में स्वीकृत कर दिया जो अवैद्य एवं विधि के विपरित है। तहसीलदार को विरासत के नामान्तकरण के संबंध में सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। विरासत के नामान्तकररण की सुनवाई की अधिकारिता ग्राग पंचायत में निहित है और तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर विरासत का नामान्तकरण अवैद्य रूप से अपीलार्थी को सुने बगेर स्वीकृत कर दिया है जो प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य हैं। वसीयत अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर कानूनन तहसीलदार को नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है जब तक वह समस्त वारीसान उत्तराधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं करता है। वसीयत को रेस्पोण्डेंट संख्या दो द्वारा सक्षम न्यायालय से प्रमाणित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैद्य होकर क्षेत्राधिकार से परे है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 21.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने लिखीत बहस प्रस्तुत कर निवदेन किया कि स्वर्गीय बंशीलाल जी द्वारा दिनांक 16.02.2023 को पंजीकृत वसीयत निष्पादित की तत्पश्चात उन्होने दिनांक 20.10.2023 को उक्त पंजीकृत वसीयत को निरस्त करते हुए विस्तृत रूप से अंतिम वसीयत निष्पादित की। और तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा उसी आधार पर नामान्तरकरण आदेश पारित किया है। वसीयत के प्रकरण में राजस्व न्यायालय को वसीयत की वैधता नहीं देखना होता है। वसीयत की वैधता सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। जिससे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिनुसार नामान्तरकरण आदेश पारित किया जाकर यह नामान्तरकरण किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलार्थी ने दुराशयपूर्वक असत्य आधारों पर यह अपील विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 309 स्वीकृत दिनांक 21.02.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जो अपील खारिज होने योग्य है। धारा 70 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी एक वसीयत के बाद दूसरी वसीयत के जरिए पहली वसीयत को निरस्त किया जा सकता है और दूसरी अंतिम वसीयत प्रभावी होती है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में दिनांक 20.10.2023 को निष्पादित वसीयत प्रभावी अंतिम वसीयत है। यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि कानूनन आवश्यक नहीं है कि पंजीकृत वसीयत को केवल पंजीकृत वसीयत से ही निरस्त किया जाए बल्कि धारा 70 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी वसीयत के बाद दूसरी वसीयत के जरिए पहली वसीयत को निरस्त किया जा सकता है और दूसरी अंतिम वसीयत प्रभावी होती है। चाहे वह अपंजीकृत वासीयत हो, क्योंकि कानूनन किसी भी वसीयत के पंजीकरण होना ही आवश्यक नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित फरमाया जा चुका है कि यदि वसीयत विवादित है तो उसकी वैधता का निर्णय केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय द्वारा केवल Prima facie आधार पर नामान्तरकरण करना होता है, जो विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिनुसार किया गया है। अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में अपील अपीलार्थी को सव्यय अस्वीकार फरमाया जाने की कृपा करावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण श्री चन्द्रशेखर व श्रीमती सीता दोनो ही स्व0 श्री बंशीलाल जी पानेरी के पुत्र व पुत्री है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्री नरेन्द्र पानेरी व अपीलांटगण का भाई हैं। तथा स्व0 श्री बंशीलाल जी पानेरी का पुत्र हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्री नरेन्द्र पानेरी द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2024 को तहसीलदार नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उस एक अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। साथ में अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा भी लगाया गया, जो पत्रावली में संलग्न हैं। इस अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा की प्रथम लाइन में यह अंकित किया गया है कि यह वसीयतनामा दिनांक 16.02.2023 को पूर्व में किये गये वसीयतनामा को निरस्त करते हुए निष्पादित किया जा रहा हैं। तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र पर ही एल आर/पटवारी हल्का को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। पटवारी को आदेशित किये जाने के दुसरे ही दिन दिनांक 08.02.2024 को पटवारी द्वारा रिपोर्ट व विस्तृत पर्चा मौका व समस्त सम्बंधित दस्तावेजों की प्रतियो सहित समस्त दस्तावेजात तहसीलदार नाथद्वारा को दिनांक 08.02.2024 को ही प्रस्तुत कर दिये गये। तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा यह प्रकरण उसके अगले दिन दिनांक 09.02.2024 को दर्ज किया गया। जिसमें उसके द्वारा अंकन किया गया कि प्रार्थना पत्र मय नोटरी प्रमाणित वसीयत की प्रति स्वयं का नोटरी शुदा शपथ पत्र बंशीलाल (वसीयतकर्ता) का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, स्वयं के आधार कार्ड की प्रति, संदर्भगत भूमि के संबंध में आवंटन के आदेश की स्व प्रमाणित छायाप्रति, मृतक वसीयतकर्ता के वारिसान का पार्षद द्वारा प्रमाणित सजरा की मूल प्रति के साथ प्रस्तुत किया गया। साथ ही उन्होने वसीयतनामा में वर्णित दोनो साक्षी को नोटिस जारी कर तलब किया जाने का आदेश किया गया तथा वसीयत को प्रमाणितकर्ता नोटरी पब्लिक को भी नोटिस जारी कर तलब किये जाने का आदेश दिया गया। तथा पत्रावली को मात्र तीन दिन बाद पुनः पेश करने के आदेश दिये गये। पत्रावली में इस तरह का

कोई नोटिस संलग्न नही है जो कि प्रस्तुत वसीयत के दोनो साक्षी तथा नोटरी को जारी किया गया हो। परन्तु दिनांक 12.02.2024 को दोनो साक्षी व नोटरी स्वतः ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के समक्ष उपस्थित हुए। जिसमें उनके बयान लिये जाने का अंकन किया गया और बहस और निर्णय हेतु दिनांक 15.02.2024 निर्धारित की गई। पत्रावली में श्री हितेश कुमार तथा श्री रघुनन्दन तथा श्री प्रमोद कुमार वशिष्ट के बयान पाये गये। यह बयान पुरी तरह कम्प्युटर पर मुद्रित है। श्री हितेश कुमार व श्री रघुनन्दन के बयान शब्दसः समान है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय में यह व्यवस्था वर्तमान में भी नही हैं। कि गवाहो के बयान लिये जाकर उसी समय कम्प्युटर प्रिन्टर द्वारा मुद्रित किये जाते हो। परन्तु इस प्रकरण में दोनो ही बयान कम्प्युटर द्वारा मुद्रित हैं। तथा शब्दसः समान हैं। दो व्यक्तियो का अलग–अलग समय पर शब्दसः समान बयान देना भी एक संदेह उत्पन्न करता हैं। साथ ही जो तीसरे गवाह श्री प्रमोद कुमार वशिष्ट के जो बयान है, उसमें भी शब्दों का चयन वही किया गया है जो कि अन्य गवाहो के बयानों में किया गया हैं। यह भी अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य है कि जो रिपोर्ट पटवारी द्वारा दिनांक 08.02.2024 को तहसीलदार को प्रस्तुत की गई। और उसमें जो जमाबंदी लगाई गई है वह दिनांक 13.02.2024 को NIC के सॉफटवेयर द्वारा जारी की गई हैं। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने पर भी यह स्पष्ट रूप से जाहिर हुआ है कि तीनो ही दिनो का कार्यवाही विवरण एक ही पेन से, एक ही फ्लो में और एक दिन में लिखा गया हैं। पंटवारी द्वारा एक ही दिन में मौके पर जाना, विस्तृत जॉच करना तथा मौका पर्चा में जो उपस्थित लोग है उनके द्वारा भी यह कहना कि यह वसीयतनाम अन्तिम व सही हैं। और वसीयतकर्ता के नाम पर सम्पत्ति दर्ज किया जाना भी उचित हैं। और यह भूमि मृतक की स्व अर्जित है और साथ ही साथ मौतबिरान द्वारा यह भी कहना कि वसीयतकर्ता श्री बंशीलाल पिता कन्हैया लाल की आंवटनशुदा, क्रयशुदा होकर स्वअर्जित सम्पत्ति हैं। तथा वसीयतकर्ता श्री बंशीलाल द्वारा दिनांक 20.10.2023 को लिखी गई नोटरी प्रमाणित वसीयत द्वारा अपने पुत्र नरेन्द्र पिता बंशीलाल के नाम दर्ज करने हेतु लिखा गया हैं। यह बहुत ही आर्श्चयजनक है कि कोई व्यक्ति जिसने कोई पूर्व में अपने दो पुत्रों और एक पुत्री के पक्ष में कोई वसीयत लिखी हो और उसके आठ माह पश्चात वह उस वसीयत को बदल रहा हैं। तथा उसके बारे में गावॅ के सभी मौतबिरान लोगो को भी पत्ता है तथा उन्हे यह भी याद है कि यह वसीयत श्री बंशीलाल जी ने 20.10.2023 को ही लिखी थी। और उसको नोटरी द्वारा भी प्रमाणित कराया है। और वसीयत में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी भी मौतबिरानो को है तो इस तरह की बाते पर्चा मौका में लिख दिया जाना और कब्जा भी श्री नरेन्द्र का अंकित कर दिया जाना सामान्यतः पर्चा मौका में मौके की क्या स्थिति है उसके बारे में अंकन किया जाता हैं। कब्जे के बारे में अंकन प्रायः नही किया जाता है और साथ ही एक दिन में सभी सेटलमेंट के दस्तावेजो से लेकर पुरानी जमाबंदीयों से लेकर सभी दस्तावेजो की प्रतियॉ प्राप्त कर लिया जाना तथा प्रस्तुत कर दिया जाना संदेह को जन्म देता है तथा साथ

ही लगी हुई जमाबंदी जो कि 13.02.2024 को जारी हुई हैं। वह 08.02.2024 को तहसीलदार के समक्ष कैसे प्रस्तुत हो सकता हैं। यह संदेह को और भी गहरा करता हैं। साथ ही जब हमने वसीयत का अवलोकन किया। यहॉ यह सही है कि वसीयत के गुणावगुण के आधार पर कोई निर्णय किया जाना राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होता है। परन्तु प्रथम दृष्टया जो अनियमितताए प्रकट हुई हैं। उसका विवेचन किया जाना मै न्यायहित में यहॉ पर उचित समझता हूँ। इस प्रकरण में दो वसीयते निष्पादित हुई है। जो पत्रावली में संलग्न है। प्रथम वसीयतनाम दिनांक 16.02.2023 को निष्पादित हुआ हैं। जो कि उप पंजियक नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा पंजिकृत हैं तथा एक अपंजीकृत वसीयतनामा जो रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह अपंजीकृत हैं। तथा एक अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त किया जाकर नया अपंजीकृत दस्तावेज लिखा गया हैं। इसकी कानूनी व्याख्या सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। परन्तु यहॉ पर जब हमारे द्वारा प्राथमिक रूप से वसीयतकर्ता श्री बंशीलाल जी के हस्ताक्षर का मिलान किया गया तो उसमें निम्न भिन्नताए पाई गई जो इस प्रकार स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर हुई है जिसके आधार पर अपंजीकृत वसीयतनामा जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उस पर मृतक श्री बंशीलाल के हस्ताक्षर पर ही संदेह उत्पन्न करता हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं। 1. पंजीकृत वसीयतनामा में मृतक श्री बंशीलाल जी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। वह पूर्णतः क्षैतिज होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में किये गये हैं। जबकि अपंजीकृत वसीयतनामा में जहॉ श्री बंशीलाल जी के हस्ताक्षर वो निचे से उपर की ओर किये गये है यानि कि दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा में किये गये हैं। यानि कि प्रत्येक पेज पर किये गये हस्ताक्षरो की जो लिखावट है वह निचे से उपर की ओर है। न कि क्षैतिज हैं। 2. रजिस्टर्ड वसीयत पर मृतक बंशीलाल जी के हस्ताक्षर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर कियें गये हस्ताक्षरो में ही पूर्णतया भिन्नता हैं। पहला अक्षर जो ब जो बनाया गया वह पूर्णतः भिन्न हैं। साथ ही जो पानेरी शब्द लिखा गया है वह भी पूर्णतया भिन्न हैं। यानि कोई साधारण दृष्टि से दोनो दस्तावेजो को देखकर यह जाहिरा तोर पर बता सकता है कि अपंजीकृत वसीयतनामा पर जो बंशीलाल जी के हस्ताक्षर अंकित है वह पंजीकृत वसीयत से पूर्णतया भिन्न है। एक पंजीकृत वसीयत जिसमें की उप पंजीयक के कार्यालय में वसीयतकर्ता का फोटो भी उपलब्ध है और हस्ताक्षर भी उपलब्ध है उन पर संदेह करने का कोई आधार नही हैं। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जो वसीयत प्रस्तुत की गई है वह अपंजीकृत हैं। जिस पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर पूर्णतया भिन्न पाये गये हैं। जो प्रस्तुत वसीयत को पूर्णतया संदेह के घेरे में खडा करते हैं। और इस संदिग्ध दस्तावेज के आधार पर मात्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथा पटवारी द्वारा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 और इनके गवाहो द्वारा आपस में दुरभि संधि कर इस प्रकार का नामान्तरण किया जाना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। लेकिन इस संबंध में अन्तिम निर्णय माननीय सिविल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

न्यायालय द्वारा ही लिया जा सकता हैं। तो इस प्रकार के संदिग्ध दस्तावेज जिस पर की हस्ताक्षर का मिलान ही नही होता हैं। तथा जिसमें पुरानी पंजीकृत वसीयत को परिवर्तित करने के तथ्यो का अंकन किये जाने के बाद में सभी उत्तराधिकारीयों को सुनने का अवसर ही नही दिया गया हो तथा साथ ही जो गवाह है उनको हाजिर होने के लिए कोई नोटिस ही जारी नही किये गये हो। और वो स्वयं ही न्यायालय में उपस्थित हो गये हो। यह सभी तथ्य यह साबित करते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संदिग्ध वसीयत के आधार पर जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं। वह निरस्त योग्य हैं। जिसे निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विवादित आदेश दिनांक 15.02.2024 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त आदेश के आधार पर खोले गये नामांतरण संख्या 309, दिनांक 21.02.2024 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार नाथद्वारा को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वसीयत के आधार पर मृतक श्री बंशीलाल पिता कन्हैया लाल के जो भी पक्षकार/विधिक उत्तराधिकारी माननीय सिविल न्यायालय से अपना स्वामित्व साबित करायेगा। उसके अनुसार नियमानुसार नामांतरण की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद